[2018] 2 एस. सी. आर 783

मैक्सऑप निवेश लिमिटेड।

वी.

आय कर आयुक्त, नई दिल्ली

(सिविल अपील सं। 104-109 2015)

फरवरी 12,2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961: एस. 14 ए-लाभांश आय की प्रयोज्यता-मामलों में

जहाँ निवेश का प्रमुख उद्देश्य किसी कंपनी/कंपनियों के समूह में नियंत्रित हित बनाए रखना था या जहाँ प्रमुख उद्देश्य स्टॉक-इन-ट्रेड रखना था।

क्या प्रमुख उद्देश्य है

प्रावधान की व्याख्या के लिए परीक्षण या विभाजन का सिद्धांत लागू किया जाना-आयोजित: एस की व्याख्या करने के लिए। 14 ए, प्रमुख उद्देश्य जिसके लिए एक निर्धारिती द्वारा शेयरों में निवेश किया जाता है, हो सकता है कि प्रासंगिक-नियुक्ति का सिद्धांत लागू होता है क्योंकि यह वह सिद्धांत है जो एस में अंकित है। 14 ए-एस। 14 ए लाभांश आय पर लागू होता है, भले ही शेयरों को नियंत्रण प्राप्त करने के लिए रखा गया हो या स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में-हालांकि, जहां शेयरों को स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रखा जाता है, उन शेयरों को प्राप्त करने में किए गए खर्च को विभाजित करना पड़ता है-केवल वह खर्च जो लाभांश अर्जित करने के संबंध में है, उसे यू/एस में अस्वीकार किया जा सकता है। 14 ए और एस। 8 डी-निर्धारण अधिकारी को इस बात को ध्यान में रखते हुए संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता है कि निर्धारिती का दावा स्वप्रेरित अस्वीकृति की मात्रा के बारे में क्यों है। 14 ए सही नहीं था-आयकर नियम, 1962-आर। 8 डी.

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. आयकर अधिनियम की धारा 14 ए (1) के अनुसार,

उस व्यय की कटौती की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो निर्धारिती द्वारा "आय के संबंध में की गई है जो इस अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं है"। स्वयंसिद्ध रूप से, यह केवल वह व्यय है जो कुल आय में सम्मिलित आय के संबंध में किया गया है। अनुमति नहीं है। यदि किए गए व्यय का छूट प्राप्त आय के साथ कोई कारण संबंध नहीं है, तो इस तरह के व्यय को स्पष्ट रूप से उस आय से संबंधित नहीं माना जाएगा जिसे छूट दी गई है।

कर से, और ऐसे व्यय को व्यावसायिक व्यय के रूप में अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार के व्यय को इस प्रकार माना जाएगा -

अन्य आय के संबंध में किया गया व्यय जिसे कुल आय का हिस्सा माना जाना है। [पैरा 32] [808-ए-सी]

2. अधिनियम की धारा 14 ए की व्याख्या करने के लिए, प्रमुख उद्देश्य जिसके लिए शेयरों में निवेश किया जाता है

निर्धारिती, प्रासंगिक नहीं हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्धारिती ने निवेशक का नियंत्रण हासिल करने के लिए निवेश किया होगा।

कंपनी। हालाँकि, यह एक प्रासंगिक कारक प्रतीत नहीं होता है हाथ में मुद्दे का निर्धारण करने में। तथ्य यह है कि ऐसी लाभांश आय गैर-कर योग्य है। इस परिदृश्य में, यदि लाभांश आय अर्जित करने पर व्यय किया जाता है, तो लाभांश आय के कारण होने वाले अधिकांश व्यय की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसे व्यावसायिक व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता है। अधिनियम की धारा 14 ए के पीछे के इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रावधान की व्याख्या की जानी चाहिए, विशेष रूप से, 'आय के संबंध में' शब्द जो कुल आय का हिस्सा नहीं है। इस रंग में माने जाने पर, खर्चों के विभाजन का सिद्धांत लागू होता है क्योंकि यह वह सिद्धांत है जो अधिनियम की धारा 14 ए में अंकित है। [पैरा 34] [808-एफ-एच; 809-ए-बी]

3. इसलिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सही ढंग से कहा कि अधिनियम की धारा 14 ए को लागू करने से पहले, कानून यह था कि कब

एक निर्धारिती के पास एक समग्र और अविभाज्य व्यवसाय था जिसमें कर योग्य और गैर-कर योग्य आय दोनों के तत्व थे, उक्त व्यवसाय के संबंध में पूरा व्यय कटौती योग्य था और ऐसे मामले में, व्यय के विभाजन का सिद्धांत था। गैर-कर योग्य आय लागू नहीं होती थी। विभाजन का सिद्धांत केवल वहीं उपलब्ध कराया गया था जहां व्यवसाय विभाज्य था। यह उपरोक्त समस्या का इलाज खोजने के लिए है कि विधानमंडल ने न केवल वित्त द्वारा धारा 14 ए को जोड़ा है।

(संशोधन) अधिनियम, 2001 लेकिन इसे पूर्वव्यापी भी बनाया गया, यानी 1962 जब आयकर अधिनियम स्वयं लागू हुआ। उपरोक्त

वित्त विधेयक, 2001 के प्रावधानों को समझाते हुए ज्ञापन में इरादे को जोर से और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की राय, जो प्रमुख उद्देश्य सिद्धांत पर

आधारित थी, स्वीकार्य नहीं है। उपरोक्त तर्क उन मामलों में लागू होगा जहां शेयर मैक्सॉप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में निवेश के रूप में रखे गए हैं।

वी. आय कर आयुक्त, नई दिल्ली

निवेशक कंपनी, उसमें ब्याज को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हो सकती है। [पैरा 35] [809-ई-एच; 810-ए]

4. जिन मामलों में शेयरों को स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रखा जाता है, उनका मुख्य उद्देश्य उन शेयरों में व्यापार करना और लाभ कमाना होता है।

वहाँ से। जब शेयरों को 'स्टॉक-इन-ट्रेड' के रूप में रखा जाता है, तो कुछ लाभांश भी अर्जित किया जाता है, हालांकि संयोग से, जो एक आय। हालाँकि, अधिनियम की धारा 10 (34) के आधार पर, इस लाभांश आय को कुल आय में शामिल नहीं किया जाना है और इसे कर से छूट दी गई है। यह अधिनियम की धारा 14 ए की प्रयोज्यता को प्रेरित करता है जो विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है।

कर योग्य और गैर-कर योग्य आय के बीच का व्यय। इसलिए, उस हद तक, प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, उन शेयरों को प्राप्त करने में हुए खर्च को विभाजित करना होगा। [पैरा 39] [811-ए-सी]

5. जिन मामलों में शेयरों को 'स्टॉक-इन-ट्रेड' के रूप में रखा जाता है, उन शेयरों में सौदा करना निर्धारिती की एक व्यावसायिक गतिविधि बन जाती है।

6. अधिनियम की धारा 14 ए (2) की भाषा को ध्यान में रखते हुए, जिसे आयकर नियमों के नियम 8 डी के साथ पढ़ा जाता है, यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाजन के सिद्धांत को लागू करने से पहले, ए. ओ. को संतोष दर्ज करने की आवश्यकता है कि निर्धारिती के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, धारा 14 ए के तहत स्वतः ही अस्वीकृति नहीं थी।

सही है। यह उन मामलों में होगा जहां निर्धारिती ने अपनी वापसी में स्वयं विभाजन किया है लेकिन एओ उक्त विभाजन को स्वीकार नहीं कर रहा था। उस स्थिति में, उसे इस आशय से अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होगी। इसके अलावा, इस तरह की संतुष्टि को दर्ज करते समय, निर्धारिती द्वारा शेयर खरीदने/शेयरों में निवेश करने के लिए लिए गए ऋण की प्रकृति की ए. ओ. द्वारा जांच की जानी चाहिए। [पैरा 41] [812-सी-डी]

सी. आई. टी वी. वाल्फोर्ट शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स पी. लिमिटेड (2010)

326 आईटीआर 1 (एससी)-निर्भर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. टी. ओ वी. डागा कैपिटल मैनेजमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड

कर v. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (2017) 391 आईटीआर 218 (पी एंड एच); सी. सी. आई. लिमिटेड बनाम। आयकर के संयुक्त आयुक्त,

उडुपी रेंज (2012) 206 कर अधिकारी 563; आयुक्त

आयकर विभाग, मुंबई बनाम. एम/एस। एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड

इसके प्रबंधक 2018 (1) स्केल 681; डॉयपैक के माध्यम से

सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ (1988) 2 एससीसी 299:

को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2007) 289 आईटीआर 6 (एससी); आय कर आयुक्त v. जी. के. के. पूंजी बाजार

(पी.) लिमिटेड (2017) 392 आईटीआर 196 (कैल); धनुका एंड संस

वी. सी. आई. टी. (2011) 339 आई. टी. आर. 319 (कैल)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

312 आईटीआर (एटी) 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

पैरा 10

(2017) 391 आईटीआर 218 (पी एंड एच)

संदर्भित किया गया है

(2012) 206 टैक्समैन 563

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

2018 (1) स्केल 681

पै

रा 12

संदर्भित किया गया है

[1988] 2 एससीआर 962

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

(2010) 326 आईटीआर 1 (एससी)

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

(2007) 289 आईटीआर 6 (एससी)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

(2017) 392 आई. टी. आर. 196 (कैल)

संदर्भित किया गया है

(2011) 339 आई. टी. आर. 319 (कैल)

पै

रा 26

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं।

109 2015 से।

उच्च न्यायालय के 18.11.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2009 के आई. टी. ए. सं. 687,853,856,1060,2010 के 263 416 में नई दिल्ली में

के साथ

2013 की सिविल अपील Nos.3267 और 10096, सिविल ए. पी.

नं. 8596 2014 की सिविल अपील Nos.1423,130,110-112,2015 की 115,123,6,2017 की सिविल अपील No.18019, सिविल अपील संख्या। 1500 , 1 : 1505 , 1576 , 1579 , 1578 , 1580 , 1575 , 2802 , 2791 , 2792 , 1577 , 2793 2794 2018 से।

मैक्सऑप निवेश लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, नई दिल्ली

जहांगीर डी. मिस्त्री, के. राधाकृष्णन, अजय वोहरा, संजय कुमार बंसल, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री वनिता भार्गव, अजय भार्गव, रॉनी ओ. जॉन, अभिसार बैरागी, मेसर्स। खेतान एंड कंपनी, अरिजीत प्रसाद, रुपेश कुमार, डी. एल. चिदानंद, सुश्री साधना संधू, सुश्री गार्गी खन्ना, मनीष पुष्करना, रितिन राय, श्रीमती अनिल कटियार, सत्येन सेठी, सुश्री गार्गी एस., रामेश्वर प्रसाद गोयल, आरता ट्राना पांडा, ब्रजेश कुमार, राजीव त्यागी, डी. कुमार, डॉ. राकेश गुप्ता, अंभोज कुमार सिन्हा, सुश्री मोनिका घई, सोमिल अग्रवाल, सुश्री कविता झा, उदित हरेश, सुश्री कविता झा, अमित प्रसाद, अल्जो के. जोसेफ, आशीष सोमवाशी, सुश्री शेलना के., मयंक नागी, तरुण सिंह, शुभम, पाटिल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. 1. आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय IV (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) में संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

'कुल आय की गणना'। धारा 14, जो इस अध्याय के तहत पहला प्रावधान है, आय के पाँच शीर्षों की गणना करता है जिनके भीतर सभी आय को वर्गीकृत किया जाना है। अधिनियम की योजना के तहत, कुछ प्रकार की आय को कर से छूट दी गई है और इस संबंध में, विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि ऐसी आय अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं होगी क्योंकि वे आय के किसी भी शीर्ष के तहत शामिल नहीं हैं और इसलिए, ऐसी छूट पर कोई कर नहीं लगाया जाता है।

आय। इस पृष्ठभूमि में, अधिनियम की धारा 14 ए स्पष्ट करती है कि यदि उस आय को अर्जित करने में कोई खर्च किया जाता है जो नहीं बनती है

कुल आय के हिस्से के रूप में, ऐसे व्यय को भी कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, धारा 14 ए को वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन इसे 1 अप्रैल, 1962 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था। मूल खंड निम्नलिखित शब्दों में था:

" धारा 14 ए-इस अध्याय के तहत कुल आय की गणना करने के उद्देश्यों के लिए, निर्धारिती द्वारा की गई आय के संबंध में किए गए व्यय के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं है।

2. वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा, उपरोक्त प्रावधान में संशोधन किया गया था जिसके द्वारा इसे उप-धारा (1) के रूप में पुन: क्रमांकित किया गया था और उप-धारा (2) और (3) को इसमें जोड़ा गया था। इससे पहले, एक प्रावधान भी जोड़ा गया था

वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से संशोधन जो पूर्वव्यापी रूप से संचालित होना था

11 मई, 2001 से। अपीलों के इन समूह में, हम संबंधित नहीं हैं [2018] 2 एस. सी. आर.

उप-धारा (2), (3) या परंतुक के साथ और यह केवल व्याख्या है जो उप-धारा (1) को दी जानी है, जो विचार के लिए उत्पन्न होती है।

3. यद्यपि, उपरोक्त प्रावधान की सरल भाषा से यह स्पष्ट है कि व्यय के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

निर्धारिती द्वारा उस आय के संबंध में किया गया व्यय जो अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं है, जिसका प्रभाव यह है कि यदि

आय अर्जित की जाती है जिसे कुल आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाना है, उस आय को अर्जित करने के लिए किए गए किसी भी खर्च की भी अनुमति नहीं है।

कटौती। यह सर्वविदित है कि शुद्ध आय पर कर लगाया जाता है। उस आय को अर्जित करने में किए गए व्यय को घटाने के बाद शुद्ध आय प्राप्त होती है। इसलिए, सकल आय से, उस आय को अर्जित करने के लिए किए गए व्यय को कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है और उसके बाद शुद्ध आय पर कर लगाया जाता है। आय, जो कुल आय का हिस्सा नहीं है, के संबंध में किए गए व्यय की कटौती की अनुमति नहीं देकर अधिनियम की धारा 14 ए के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारिती को दोगुना लाभ न मिले। एक बार जब किसी विशेष आय को कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है और उसे कर से छूट दी जाती है, तो कोई

बैंक से ब्याज वाले ऋण और उस ऋण को शेयरों/शेयरों में निवेश करना, जिससे अर्जित लाभांश कर योग्य नहीं है। आम तौर पर, ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज लाभांश आय अर्जित करने के लिए किया गया खर्च होगा। इस तरह के ब्याज को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि यह एक खर्च है। लाभांश आय के संबंध में उपगत जो स्वयं कर के दायरे से छूट प्राप्त है। इस हद तक कोई झगड़ा नहीं है।

4. हालांकि, इन अपीलों में सवाल विभिन्न परिस्थितियों में उठा है जहां किसी कंपनी के शेयर/स्टॉक खरीदे गए थे। उक्त कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त करने के उद्देश्य से या 'स्टॉक-इन-ट्रेड' के रूप में। हालांकि, संयोग से आय भी लाभांश के रूप में उत्पन्न हुई थी। इस आधार पर, निर्धारिती यह तर्क देते हैं कि शेयर खरीदने का प्रमुख उद्देश्य लाभांश आय अर्जित करना नहीं था, बल्कि उस कंपनी में व्यवसाय का नियंत्रण करना था जिसमें शेयरों का निवेश किया गया था या व्यावसायिक गतिविधि आदि के रूप में शेयरों में व्यापार करने के उद्देश्य से था। इस पृष्ठभूमि में, मुद्दा यह है कि क्या किए गए व्यय को 'आय के संबंध में' अर्थात लाभांश आय के रूप में माना जा सकता है जो कुल आय का हिस्सा नहीं है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, क्या प्रमुख या मुख्य उद्देश्य मैक्सॉप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के रूप में निर्धारित करने में एक प्रासंगिक विचार होगा।

वी. आय कर आयुक्त, नई दिल्ली [ए. के. सिकरी, जे.]

क्या किया गया व्यय लाभांश आय के संबंध में है। सिविल अपील सं. सहित अधिकांश अपीलों में। 104-109 2015 का, उपरोक्त परिदृश्य है। हालाँकि, कुछ अन्य मामलों में, वास्तविक स्थिति में बहुत कम अंतर हो सकता है। हालाँकि, ये सभी मामले संबंधित हैं -

लाभांश आय, चाहे वह किसी कंपनी में या कंपनियों के समूह में नियंत्रित ब्याज बनाए रखने के लिए निवेश के उद्देश्य से हो या प्रमुख उद्देश्य इसे स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रखना था।

5. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम सिविल अपील संख्या के तथ्यों पर संक्षेप में ध्यान दे सकते हैं। 104-109 2015 का, शामिल मुद्दे की बेहतर समझ के लिए।

अपीलार्थी कंपनी, अन्य बातों के साथ-साथ, के व्यवसाय में लगी हुई है

वित्त, निवेश और शेयरों और प्रतिभूतियों में लेनदेन। अपीलार्थी

वह दो पोर्टफोलियो में शेयर/प्रतिभूतियां रखता है। (क) पूंजी खाते में निवेश के रूप में; और, (ख) निवेशक समूह की कंपनियों, विशेष रूप से मैक्स इंडिया लिमिटेड, जो एक व्यापक रूप से आयोजित सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, पर नियंत्रण हासिल करने और बनाए रखने के उद्देश्य से व्यापारिक परिसंपत्तियों के रूप में। 'निवेश' के रूप में रखे गए शेयरों/प्रतिभूतियों की बिक्री पर होने वाले किसी भी लाभ/हानि को 'पूंजीगत लाभ' शीर्ष के तहत आय के रूप में वापस किया जाता है, जबकि 'व्यापारिक परिसंपत्तियों' के रूप में रखे गए शेयरों/प्रतिभूतियों की बिक्री पर होने वाले लाभ/हानि (यानी, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशक समूह की कंपनियों पर अधिग्रहण, प्रयोग और नियंत्रण बनाए रखने के इरादे से) को नियमित रूप से पेश किया जाता है और 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' शीर्ष के तहत व्यावसायिक आय के रूप में कर का मूल्यांकन किया जाता है।

नियमित रूप से पालन किए जाने वाले उपरोक्त उपचार के अनुरूप,

अपीलार्थी ने निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए विवरणी दाखिल की, जिसमें Rs.78,90,430/- की आय घोषित की गई। मैक्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों में निवेश से संबंधित सीमा तक कर मुक्त लाभांश आय प्राप्त करने वाले लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए रु. 1,168/- के ब्याज व्यय का कोई भी हिस्सा अधिनियम की धारा 14ए के तहत इस आधार पर अस्वीकार्य नहीं माना गया कि उक्त कंपनी में शेयरों का अधिग्रहण ब्याज को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से किया गया था, न कि

लाभांश अर्जित करने का उद्देश्य। अपीलार्थी के अनुसार, मैक्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों में निवेश का प्रमुख उद्देश्य/इरादा उसमें नियंत्रित ब्याज प्राप्त करना/बनाए रखना था न कि लाभांश अर्जित करना और,

इसलिए, प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान मैक्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों पर अर्जित 90,860/- का लाभांश केवल ऐसे शेयरों के धारण के लिए आकस्मिक था। निर्धारण अधिकारी (एओ) ने 27 अगस्त,

2004 को धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन आदेश पारित करते हुए अधिनियम की धारा 14ए के तहत Rs.67,74,175/- पर [2018] 2 एस. सी. आर. द्वारा अस्वीकृति पर काम किया।

मैक्स इंडिया लिमिटेड (जिस पर लाभांश प्राप्त हुआ था) के शेयरों में निवेश के अनुपात में 168/- रुपये के ब्याज व्यय को असुरक्षित ऋण की कुल राशि में विभाजित करना। हालाँकि, एओ ने उस धारा के तहत अस्वीकृति को Rs.49,90,860/- तक सीमित कर दिया, जो प्राप्त और दावा की गई छूट की राशि है।

6. अपील में, आयकर आयुक्त (अपील) (सी. आई. टी. (ए)) ने 12 जनवरी, 2005 के आदेश के माध्यम से ए. ओ. के आदेश को बरकरार रखा। अपीलार्थी ने इस मामले को आगे की अपील में आगे बढ़ाया

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में 'आई. टी. ए. टी.')। अधिनियम की धारा 14ए की व्याख्या के संबंध में आई. टी. ए. टी. द्वारा विभिन्न पीठों के परस्पर विरोधी निर्णयों को देखते हुए आई. टी. ओ. बनाम के मामले में एक विशेष पीठ का गठन किया गया था। डागा कैपिटल मैनेजमेंट

(निजी) Ltd.[1] अपीलार्थी की अपील को भी उपरोक्त विशेष पीठ द्वारा टैग और सुना गया था।

7. डागा कैपिटल मैनेजमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड के मामले में आई. टी. ए. टी. की विशेष पीठ ने अपीलार्थी की अपील को खारिज करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि नियंत्रित ब्याज का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों में निवेश व्यवसाय को जारी रखने के बराबर नहीं है और इसलिए, समूह की कंपनियों में शेयर प्राप्त करने के लिए किए गए ब्याज व्यय को अधिनियम की धारा 14ए के प्रावधानों से नुकसान हुआ है। विशेष पीठ ने आगे कहा कि नियंत्रित ब्याज प्राप्त करने/बनाए रखने के इरादे से शेयरों की होल्डिंग आम तौर पर पूंजी खाते में होगी, यानी निवेश के रूप में और 'व्यापारिक परिसंपत्तियों' के रूप में नहीं। इस कारण से भी, विशेष पीठ ने कहा कि ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज के बीच प्रमुख संबंध मौजूद है

इसका उपयोग उपरोक्त शेयरों के अधिग्रहण और लाभांश आय अर्जित करने के लिए किया जाता है। नतीजतन, अधिनियम की धारा 14ए के प्रावधानों को मामले के तथ्यों पर आकर्षित माना गया।

8. 'के संबंध में अभिव्यक्ति की व्याख्या पर, विशेष पीठ की बहुमत की राय थी कि उपार्जित व्यय और अर्जित छूट प्राप्त आय के बीच प्रत्यक्ष और निकट संबंध होने की आवश्यकता को प्रावधान में नहीं पढ़ा जा सकता है। बहुमत के विचार के अनुसार, 'जो प्रासंगिक है वह छूट प्राप्त आय के संबंध में व्यय का पता लगाना है और यह जांचना नहीं है कि क्या निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के परिणामस्वरूप छूट प्राप्त आय या कर योग्य आय हुई है'। हालाँकि, अल्पमत के दृष्टिकोण के अनुसार, किए गए व्यय के बीच प्रमुख और तत्काल संबंध का अस्तित्व है।

और लाभांश आय प्रावधानों को लागू करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त थी

अधिनियम की धारा 14 ए। तदनुसार यह अल्पमत के अनुसार अभिनिर्धारित किया गया था,

कि शेयरों में किसी व्यापारी के मामले में, शेयरों को धारण करने के लिए आकस्मिक लाभांश आय की केवल प्राप्ति, अधिनियम की धारा 14 ए के प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

9. विशेष पीठ के उपरोक्त आदेश के खिलाफ, अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 260 ए के तहत उच्च न्यायालय में अपील की। द. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18 नवंबर के विवादित फैसले के माध्यम से,

2011 , अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 14 ए में दिखाई देने वाली 'संबंध में' अभिव्यक्ति 'संबंध में' या 'संबंध में' का पर्याय थी, और यह कि उस धारा के प्रावधान निवेश करने के पीछे के इरादे/उद्देश्य की परवाह किए बिना लागू होते हैं। नतीजतन, आनुपातिक

निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय की अस्वीकृति बरकरार रखी जाती है।

10. इस स्तर पर यह बताना उचित होगा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्राचार्य के मामले में हाल ही में एक फैसले में

आय कर आयुक्त v. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 2 ने एक दृष्टिकोण अपनाया है जो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण के विपरीत है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सी. सी. आई. लिमिटेड बनाम में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का अनुमोदन के साथ पालन किया। संयुक्त आयकर आयुक्त, उडुपी रेंज 3 राजस्व ने उपरोक्त निर्णयों की शुद्धता को चुनौती देते हुए अपील दायर की है। इस प्रकार, विभिन्न उच्च न्यायालयों की राय के टकराव को देखते हुए, अपीलों का यह समूह उन कर निर्धारकों द्वारा है जो उच्च न्यायालय और आयकर विभाग के समक्ष उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ हार गए थे, जहां लिया गया विचार निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ है।

11. इन निर्णयों पर चर्चा करने से पहले, आइए हम प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को देखें, क्योंकि इससे हम सक्षम होंगे इन मामलों के अनुपात की अधिक उचित रूप से सराहना करें। चूँकि चर्चा का केंद्र अधिनियम की धारा 14 ए है, इसलिए हम धारा 14 ए को पूरी तरह से नीचे प्रस्तुत करते हैं:

" आय के संबंध में किया गया व्यय जो कुल मिलाकर शामिल नहीं है

आय।

14 ए. (1) इस अध्याय के तहत कुल आय की गणना करने के प्रयोजनों के लिए, व्यय के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

निर्धारिती द्वारा आय के संबंध में किया गया व्यय जो इस अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं है।

2 (2017) 391 आईटीआर 218 (पी एंड एच) 3 (2012) 206 टैक्समैन 563 [2018] 2 एस. सी. आर.

(2) निर्धारण अधिकारी राशि निर्धारित करेगा -

ऐसी आय के संबंध में किया गया व्यय जो इस अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं है, ऐसी विधि के अनुसार जो निर्धारित की जा सकती है, यदि निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती के खातों को ध्यान में रखते हुए,

इस प्रकार के संबंध में निर्धारिती के दावे की शुद्धता आय के संबंध में व्यय जो आय का हिस्सा नहीं है

इस अधिनियम के तहत कुल आय।

(3) उप-धारा (2) के प्रावधान उस मामले के संबंध में भी लागू होंगे जहां कोई निर्धारिती दावा करता है कि कोई व्यय नहीं किया गया है।

आय के संबंध में उसके द्वारा किया गया व्यय जो इसका हिस्सा नहीं है

इस अधिनियम के तहत कुल आयः

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी सशक्त नहीं करेगा

निर्धारण अधिकारी या तो धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन करेगा या निर्धारण को बढ़ाने या पहले से किए गए धनवापसी को कम करने या अन्यथा धारा 154 के तहत निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने का आदेश पारित करेगा।

1 अप्रैल, 2001 का पहला दिन।

12. धारा 14 ए की उप-धारा (2) आनुपातिकता से संबंधित है क्योंकि यह एओ को व्यय की उस राशि को निकालने का अधिकार देती है जो

ऐसी आय के संबंध में उपगत जो अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं है। हालाँकि, यह 'ऐसी विधि के अनुसार किया जाना है जो निर्धारित की जा सकती है।' यह प्रिस्क्रिप्शन प्रत्यायोजित कानून द्वारा आयकर नियमों के नियम 8 डी के रूप में प्रदान किया गया है।

1962 (संक्षिप्त में 'नियम') जो नियम 24 मार्च, 2008 से आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 20084 के माध्यम से जोड़ा गया था। हम, इस प्रकार, नियम 8 डी को यहाँ पुनः प्रस्तुत करते हैंः

" संबंध में व्यय की राशि निर्धारित करने की विधि

आय जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है।

8 डी. (1) जहां निर्धारण अधिकारी, खातों को ध्यान में रखते हुए

(क) द्वारा किए गए व्यय के दावे की शुद्धता निर्धारिती; या

4 2012 की सिविल अपील सं. 2165 में (आयकर आयुक्त, मुंबई बनाम. एम/एस। एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड ने अपने प्रबंधक के माध्यम से 31 जनवरी, 2018 को घोषित किया कि इस न्यायालय ने माना है कि नियम 8 डी संभावित प्रकृति का है।

(ख) निर्धारिती द्वारा किया गया दावा कि कोई व्यय नहीं किया गया है,

आय के संबंध में जो ऐसे पिछले वर्ष के लिए अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं है, वह उप-नियम (2) के प्रावधानों के अनुसार ऐसी आय के संबंध में व्यय की राशि निर्धारित करेगा। (2) आय के संबंध में व्यय जो कुल आय का हिस्सा नहीं है, निम्नलिखित का कुल योग होगाः

राशियाँ, अर्थात्ः

((i) आय से सीधे संबंधित व्यय की राशि जो कुल आय का हिस्सा नहीं है।

((ii) ऐसे मामले में जहां निर्धारिती ने पिछले वर्ष के दौरान ब्याज के रूप में व्यय किया है जो किसी विशेष आय या रसीद के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है, एक राशि

निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना की गई, अर्थात्ः —

एएक्स 2 0 बी

जहां क = पिछले वर्ष के दौरान उपगत खंड (i) में सम्मिलित ब्याज की राशि के अलावा ब्याज के रूप में व्यय की राशि;

बी = निवेश के मूल्य का औसत, जिससे आय होती है

पिछले वर्ष के पहले दिन और अंतिम दिन निर्धारिती की तुलनपत्र में दिखाई देने वाली कुल आय का हिस्सा नहीं होगा या नहीं होगा;

सी = निर्धारिती की तुलनपत्र में दिखाई देने वाली कुल परिसंपत्तियों का औसत, पहले दिन और पिछले दिन के अंतिम दिन

वर्ष; ((ग) निवेश मूल्य के औसत के आधे प्रतिशत के बराबर राशि, जिससे आय नहीं होती है या नहीं होगी।

निर्धारिती की तुलन-पत्र में दिखाई देने वाली कुल आय का हिस्सा, पिछले वर्ष के पहले दिन और अंतिम दिन

वर्ष।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "कुल परिसंपत्तियों" का अर्थ होगा, वृद्धि [2018] 2 एस. सी. आर. को छोड़कर तुलनपत्र में दिखाई देने वाली कुल परिसंपत्तियाँ।

परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण लेकिन परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण कमी सहित।

13. उपरोक्त वैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए, हम मैक्सॉप निवेश में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसलों का अध्ययन करते हैं।

लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय।

14. तीन प्रश्न उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए पड़े। इन अपीलों के उद्देश्य के लिए, यह केवल प्रश्न संख्या 1 है जो है उच्च न्यायालय द्वारा प्रासंगिक और उसका सूत्रीकरण निम्नानुसार था:

" 1. क्या संचालन कंपनियों के शेयरों में निवेश के संबंध में व्यय (उधार ली गई निधियों पर भुगतान किए गए ब्याज सहित)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 14ए के तहत नियंत्रित ब्याज प्राप्त करना और उसे बनाए रखना प्रभावित होता है क्योंकि ऐसे शेयरों पर प्राप्त लाभांश कुल आय का हिस्सा नहीं है।

15. तथ्यों पर, यह नोट किया गया कि निर्धारिती कंपनी में है

वित्त, निवेश का व्यवसाय और शेयरों और प्रतिभूतियों में लेनदेन कर रहा था। निर्धारिती अपने समूह की कंपनियों, मुख्य रूप से मैक्स इंडिया लिमिटेड पर नियंत्रण हासिल करने और बनाए रखने के उद्देश्य से आंशिक रूप से "पूंजी खाते" पर निवेश के रूप में और आंशिक रूप से "व्यापारिक परिसंपत्तियों" के रूप में शेयर और प्रतिभूतियां रखता था। निर्धारिती के अनुसार, व्यापारिक परिसंपत्तियों के रूप में रखे गए शेयरों की बिक्री के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी लाभ पर निर्धारिती की व्यावसायिक आय के रूप में कर लगाने की विधिवत पेशकश की जाती थी। निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान, निर्धारिती ने कुल ब्याज व्यय

रु. 1,61,21,168 / - , जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (iii) के तहत व्यावसायिक व्यय के रूप में दावा किया गया था (जिसे इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है)। निर्धारिती के अनुसार, दावा किया गया व्यय अधिनियम की धारा 14ए द्वारा प्रभावित नहीं था, इस आधार पर कि हालांकि उधार ली गई निधियों का आंशिक रूप से व्यापारिक परिसंपत्तियों के रूप में रखे गए शेयरों में निवेश के लिए उपयोग किया गया था, ऐसा निवेश उपरोक्त कंपनी में एक नियंत्रित ब्याज प्राप्त करने और बनाए रखने के इरादे से किया गया था और उस पर लाभांश की प्राप्ति केवल आकस्मिक थी। उच्च न्यायालय ने तब अधिनियम की धारा 14ए और नियमों के नियम 8डी के विधायी इतिहास पर ध्यान दिया। इसके बाद, न्यायालय ने उस कानून पर चर्चा की जो धारा 14ए को

शामिल करने से पहले था। कुछ निर्णयों पर ध्यान देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम में धारा 14 ए को शामिल करने से पहले, मैक्सॉप निवेश लिमिटेड।

वी. आय कर आयुक्त, नई दिल्ली [ए. के. सिकरी, जे.]

कानून यह था कि जब किसी निर्धारिती का एक समग्र और अविभाज्य व्यवसाय होता है, जिसमें कर योग्य और गैर-कर योग्य आय दोनों के तत्व होते हैं, तो उक्त व्यवसाय के संबंध में पूरा व्यय कटौती योग्य होता है और ऐसे मामले में, गैर-कर योग्य आय से संबंधित व्यय के विभाजन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। हालाँकि, जहाँ व्यवसाय विभाज्य था, वहाँ व्यय के विभाजन का सिद्धांत लागू था और 'छूट प्राप्त' आय या कर के लिए अनुपयुक्त आय के लिए विभाजित व्यय, कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं था। तब उच्च न्यायालय ने वित्त विधेयक, 2001 के प्रावधानों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन का उल्लेख करके धारा 14ए को शामिल करने के पीछे के विधायी इरादे और उद्देश्य का संज्ञान लिया। इसने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों के अंशों को भी पुनः प्रस्तुत किया। चूंकि, वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए, इस प्रावधान के पीछे के उद्देश्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है, इसलिए हम यहां चर्चा के उस हिस्से को पुनः प्रस्तुत करते हैं:

" धारा 14ए को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य

15. उक्त अधिनियम में धारा 14ए को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य वित्त विधेयक 2001 के प्रावधानों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन से स्पष्ट है जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

वे कर योग्य आय की कमाई से संबंधित हैं। एक नई धारा 14ए को शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि आयकर अधिनियम, 1961 की स्थापना के बाद से विधानमंडल के इरादे को स्पष्ट किया जा सके कि आय के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

जो आय के अंतर्गत कुल आय का हिस्सा नहीं है।

कर अधिनियम।

प्रस्तावित संशोधन पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा 1 अप्रैल, 1962 और तदनुसार, के संबंध में लागू होगा

मूल्यांकन वर्ष 1962-63 और बाद के मूल्यांकन वर्ष।

" "

5. जैसा कि सी. आई. टी. बनाम के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा। अल्फोर्ट शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स पी लिमिटेड: 326 आईटीआर 1 (एससी),

पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ धारा 14 ए का प्रावधान दर्शाता है -

आने वाले समय के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यय की दृष्टि से कटौती की अनुमति नहीं देने का संसद का प्रयास, जो इसके तहत कुल आय का हिस्सा नहीं है।

कर योग्य आय के विरुद्ध आई. डी. अधिनियम। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा

निम्नलिखित के रूप में कार्य किया:

" .....दूसरे शब्दों में, धारा 14 ए स्पष्ट करती है कि किए गए खर्च

केवल इस हद तक अनुमति दी जा सकती है कि वे संबंधित हों

कर योग्य आय अर्जित करना। कई मामलों में प्रकृति

निर्धारिती द्वारा किए गए खर्च आंशिक रूप से संबंधित हो सकते हैं -

छूट प्राप्त आय और आंशिक रूप से कर योग्य आय। में

धारा 14 ए की अनुपस्थिति, के संबंध में किया गया व्यय -

कर योग्य आय के विरुद्ध छूट प्राप्त आय का दावा किया जा रहा था। द. धारा 14 ए का अधिदेश स्पष्ट है। यह अंकुश लगाना चाहता है

संबंध में किए गए खर्चों की कटौती का दावा करने का अभ्यास

कर योग्य आय के विरुद्ध आय को छूट देना और उसी समय

" .....अनुमत व्यय केवल कर योग्य आय के संबंध में हो सकते हैं। आय। यह धारा 14ए का उद्देश्य है। धारा 14ए में,

पहला वाक्यांश है "कुल आय की गणना करने के उद्देश्यों के लिए" इस अध्याय के तहत "जो यह स्पष्ट करता है कि

अध्याय IV में विहित आय धारा के अंतर्गत आएगी।

14ए. अगला वाक्यांश है, "आय के संबंध में जो

अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब यह है कि

यदि कोई आय कुल आय का हिस्सा नहीं है, तो

संबंधित व्यय प्रयोज्यता के दायरे से बाहर है। धारा 14क।

(जोर दिया गया) "

7. उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि लाभांश जैसी आय के मामले में जो कुल मैक्सॉप निवेश लिमिटेड का हिस्सा नहीं है।

वी. आय कर आयुक्त, नई दिल्ली [ए. के. सिकरी, जे.]

आय, इस तरह से संबंधित कोई भी व्यय/कटौती (छूट या छूट)

गैर-कर योग्य) आय, भले ही वह धाराओं में निर्दिष्ट प्रकृति की हो 15 उक्त अधिनियम के 59 तक, किसी अन्य के खिलाफ अनुमति नहीं दी जा सकती है।

आय जो कुल आय में सम्मिलित हो। सटीक शब्द उच्चतम न्यायालय द्वारा उपयोग किए जाने वाले निम्नानुसार हैं:

" इसके अलावा, धारा 14 आय के पाँच शीर्षों को निर्दिष्ट करती है जो हैं - कर से प्रभार्य। प्रभार्य होने के लिए, एक आय होनी चाहिए

पाँच प्रमुखों में से किसी एक के अधीन लाया जाए। धारा 15 से 59 तक

आय की गणना करने के लिए नियमों को कम करना उन शीर्षों के तहत कर की प्रभार्यता। धारा 15 से 59

कर के लिए प्रभार्य कुल आय की मात्रा निर्धारित करें। अनुमेय

धारा 15 से 59 में गणना की गई कटौती अब होनी है

लाभांश आय जैसी आय कुल आय का हिस्सा नहीं है। व्यय/कटौती यद्यपि निर्दिष्ट प्रकृति की है

धारा 15 से 59 लेकिन आय का हिस्सा नहीं बनने से संबंधित अन्य आय के विरुद्ध कुल आय की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

प्रभार्यता के उद्देश्य से कुल आय में शामिल

कर लगाने के लिए। खर्च के विभाजन का सिद्धांत

कर योग्य और गैर-कर योग्य, सिद्धांत रूप में, अब किया गया है

धारा 14 ए के तहत विस्तार किया गया।

(जोर दिया गया) "

16. उच्च न्यायालय ने तब विश्लेषण करने की कवायद शुरू की

अधिनियम की धारा 14ए के प्रावधानों और इस प्रक्रिया में, उसमें होने वाले 'संबंधित' और 'व्यय' अभिव्यक्तियों की रूपरेखा और दायरे की जांच की गई। उच्च न्यायालय ने इंगित किया कि इस संबंध में निर्धारिती का तर्क था कि 'उपगत' शब्द को शाब्दिक रूप से इस अर्थ में लिया जाना चाहिए कि व्यय

वास्तव में हुआ होगा। इसके अलावा, खर्च आय के संबंध में भी हुआ होगा जो कुल आय का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा, "के संबंध में" अभिव्यक्ति का तात्पर्य है कि विषय वस्तु के साथ एक प्रत्यक्ष और निकट संबंध होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, केवल वही वास्तविक व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से और छूट प्राप्त आय अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है (वर्तमान अपीलों में-लाभांश आय) अधिनियम की धारा 14 ए के तहत अस्वीकृत किया जा सकता है। यदि प्रमुख और प्रमुख

खर्च का उद्देश्य तब 'छूट प्राप्त' आय अर्जित करना नहीं था, [2018] 2 एस. सी. आर.

अधिनियम की धारा 14 ए के तहत व्यय की अनुमति नहीं दी जा सकती, बशर्ते कि यह उक्त अधिनियम की धारा 15 से 59 के तहत अन्यथा स्वीकार्य हो। हालाँकि, उच्च न्यायालय निर्धारिती के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए उपरोक्त प्रस्तावों से सहमत नहीं था, जो उसके अनुसार कई कठिनाइयों से ग्रस्त थे। निर्धारिती द्वारा उद्धृत मामले के कानून को अलग करते हुए जहां इस न्यायालय द्वारा 'के संबंध में' अभिव्यक्ति की व्याख्या की गई थी, क्योंकि यह वर्तमान संदर्भ में लागू नहीं है, उच्च न्यायालय ने इसके बजाय डॉयपैक सिस्टम्स प्राइवेट के मामले में निर्णय का उल्लेख किया। लिमिटेड वी.

भारत संघ 'जिसमें इस न्यायालय ने उस अभिव्यक्ति को अभिनिर्धारित किया है' संबंधित

डीमिंग प्रावधानों में उपयोग किए जाने वाले 'से', 'के संबंध में' और 'से उत्पन्न होने वाले' का उपयोग विस्तृत अर्थ में किया जाता है। इसने सी. आई. टी. बनाम में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया। वाल्फोर्ट शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स पी. लिमिटेड जिसमें यह

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय 18. यह मामला उस संदर्भ में सामने आया जब लाभांश के रूप में छूट प्राप्त आय बैंक द्वारा व्यापार में अपने स्टॉक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों से अर्जित की गई थी। निर्धारिती ने लगभग Rs.670 करोड़ की आय घोषित करते हुए अपना विवरणी दाखिल किया जिसे जांच के लिए चुना गया था। रिटर्न में लाभांश आय को धारा 10 (34) और (35) के तहत छूट दी गई है। 11.07 करोड़ और शुद्ध ब्याज आय की धारा 10 (15) (iv) (h) के तहत छूट

$ (1988) 2 एससीसी 299

6 (2010) 326 आईटीआर 1 (एससी)

मैक्सऑप निवेश लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, नई दिल्ली [ए. के. सिकरी, जे.]

लगभग रु. 1. 12 करोड़। रिटर्न में दावा की गई कुल छूट वाली आय, इसलिए, Rs.12,19,78,015/- थी। निर्धारिती ने छूट का दावा करते हुए तर्क दिया कि शेयरों, बांडों आदि में निवेश। इसका स्टॉक-इन-ट्रेड था; कि निवेश केवल कर मुक्त आय अर्जित करने के लिए नहीं किया गया था; कि कर मुक्त आय केवल

निर्धारिती का प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद का मुख्य व्यवसाय और इसलिए, ऐसी छूट प्राप्त आय अर्जित करने के लिए कोई खर्च नहीं किया गया था; खर्च वही रहता, भले ही निर्धारिती द्वारा उक्त प्रतिभूतियों से कोई लाभांश या ब्याज आय अर्जित नहीं की गई हो और छूट प्राप्त आय के लिए आनुपातिक आधार पर कोई खर्च आवंटित नहीं किया जा सकता हो। निर्धारिती ने यह भी तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में उसने अपनी निधियों से प्रतिभूतियों का अधिग्रहण किया था और इसलिए, धारा 14 ए लागू नहीं थी। एओ ने नियम 8 डी में निहित सूत्र को लागू करके छूट वाली आय के रूप में दावा की गई राशि तक अस्वीकृति को सीमित कर दिया, जिसमें कहा गया था कि धारा 14 ए लागू होगी। सी. आई. टी. (ए) ने अधिनियम की धारा 251 के तहत वृद्धि का नोटिस जारी किया और कहा कि अधिनियम की धारा 14 ए को देखते हुए, निर्धारिती को आय के संबंध में किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है। इसलिए, उन्होंने इसके बजाय दावा किए गए पूरे खर्च की अनुमति नहीं दी

अस्वीकृति को उस राशि तक सीमित करना जिसे एओ द्वारा की गई छूट वाली आय के रूप में दावा किया गया था। आई. टी. ए. टी. ने ए. ओ. के साथ-साथ सी. आई. टी. (ए) के आदेश को अलग कर दिया। इसने एक सीबीडीटी परिपत्र No.18/2015 दिनांकित 02.11.2015 का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि एक बैंकिंग संस्था के निवेश से उत्पन्न आय बैंकिंग के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार है जो "व्यवसाय और पेशे के लाभ और लाभ" शीर्ष के तहत आता है। सर्कुलर में कहा गया है कि बैंक द्वारा रखे गए शेयर और स्टॉक 'स्टॉक-इन-ट्रेड' हैं न कि 'निवेश'। कुछ निर्णयों (जिनका हम उल्लेख भी करेंगे) और न्यायाधिकरण के पहले के आदेशों का उल्लेख करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि शेयरों को स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रखा जाता है और निवेश के रूप में नहीं, तो नियम 8 डी के तहत अस्वीकृति भी शून्य होगी क्योंकि नियम 8 डी (2) (i) कर छूट वाली आय अर्जित करने के लिए प्रत्यक्ष खर्च तक ही सीमित होगी। उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, राजस्व द्वारा दायर अपील में, उच्च न्यायालय ने कहा कि निम्नलिखित

विचार के लिए कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआः

" क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, माननीय आई. टी. ए. टी. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 14 ए के तहत अस्वीकृति के कारण किए गए जोड़ को हटाने में कानूनी रूप से सही है? ”

18] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. अपने विश्लेषण में, उच्च न्यायालय ने निर्धारिती के वकील के इस तर्क को स्वीकार किया कि निर्धारिती खरीद में लगा हुआ है

और लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से एक व्यापारी के रूप में शेयरों की बिक्री और नहीं

ब्याज या लाभांश अर्जित करने की दृष्टि से। निर्धारिती के पास कोई निवेश पोर्टफोलियो नहीं है। प्रतिभूतियाँ निर्धारिती के स्टॉक का गठन करती हैं - व्यापार। वास्तव में, विभाग ने उचित रूप से स्वीकार किया कि अर्जित लाभांश और ब्याज उन प्रतिभूतियों से था जो निर्धारिती के स्टॉक-इन-ट्रेड का गठन करती हैं। वही, किसी भी मामले में, स्थापित है। निर्धारिती प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद का व्यवसाय करता था। इसका समर्थन सीबीडीटी द्वारा 02 नवंबर, 2015 को जारी परिपत्र No.18 द्वारा किया गया था, जो इस प्रकार है:

2. अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (1) के खंड (आई. डी.) में प्रावधान है कि प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय प्रभार्य होगी। आय-"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के तहत कर, यदि आय आय के लिए प्रभार्य नहीं है-"व्यवसाय और पेशे के लाभ और लाभ" शीर्ष के तहत कर।

3. इस मुद्दे पर न्यायिक फैसलों के आलोक में मामले की जांच की गई है। सी. आई. टी. बनाम नवांशहर सेंट्रल के मामले में

कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड [2007] 160 टीएएक्सएमएएन 48 (एससी), शीर्ष अदालत ने माना कि एक बैंकिंग संस्था द्वारा किया गया निवेश बैंकिंग के व्यवसाय का हिस्सा है। इसलिए ऐसे निवेशों से होने वाली आय का श्रेय बैंकिंग व्यवसाय को जाता है।

पेशा "। 3.2 भले ही उपर्युक्त निर्णय धारा के तहत कटौती का दावा करने वाली सहकारी समितियों/बैंकों के संदर्भ में था

80 अधिनियम के पी (2) (ए) (आई) के अनुसार, यह सिद्धांत सभी बैंकों/वाणिज्यिक बैंकों पर समान रूप से लागू होता है, जिन पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है।

लागू होता है।

मैक्सऑप निवेश लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, नई दिल्ली [ए. के. सिकरी, जे.]

4. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में,

मुद्दा अच्छी तरह से सुलझा लिया गया है। तदनुसार, बोर्ड ने निर्णय लिया है कि नहीं

अब से इस आधार पर अधिकारियों द्वारा अपील दायर की जा सकती है

विभाग और इस आधार पर पहले से ही दायर अपीलें, यदि कोई हों,

न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के समक्ष वापस लिया जा सकता है/उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। यह

सभी संबंधित लोगों के ध्यान में लाया जा सकता है।

(जोर दिया गया) "

20. उच्च न्यायालय ने बताया कि परिपत्र एक

स्टॉक-इन-ट्रेड और निवेश के बीच अंतर और यह प्रावधान है कि यदि शेयरों की खरीद और बिक्री के पीछे का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है तो इसे व्यापारिक लाभ के रूप में माना जाएगा और यदि उद्देश्य लाभांश के माध्यम से आय प्राप्त करना है तो लाभ को निवेश से अर्जित कहा जाएगा। यदि निर्धारिती ने शेयरों और प्रतिभूतियों को स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में माना है, तो उससे होने वाली आय व्यावसायिक आय होगी। एक नुकसान एक व्यावसायिक नुकसान होगा। इस प्रकार, एक निर्धारिती

दो पोर्टफोलियो हो सकते हैं, अर्थात्, निवेश पोर्टफोलियो और एक व्यापार पोर्टफोलियो। पहले वाले के मामले में, प्रतिभूतियों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के रूप में और बाद वाले में व्यापारिक परिसंपत्तियों के रूप में माना जाना चाहिए।

21. इसके अलावा, एक बैंकिंग संस्थान के रूप में, निर्धारिती भी था

वैधानिक रूप से अपनी निधि का एक हिस्सा अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखना आवश्यक है, जैसा कि सी. आई. टी. v. में आयोजित किया गया है। नवांशहर केंद्रीय सहकारी बैंक Ltd.7। चूंकि, निर्धारिती द्वारा खरीदे गए शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर इसके स्टॉक-इन-ट्रेड का गठन करते थे, इसलिए धारा 14ए के प्रावधान लागू नहीं थे। यहां, न्यायालय ने स्टॉक-इन-ट्रेड और निवेश के बीच अंतर को नोट किया और निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" 17. धारा 14ए के तहत, व्यय की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब

यह निर्धारिती द्वारा छूट प्राप्त आय के संबंध में किया जाता है।

कर। निर्धारिती के शेयर-व्यापार से लाभांश या ब्याज अर्थात प्रतिभूतियों को धाराओं को देखते हुए कर से छूट दी गई थी।

10 (15) (iv) (एच), (34) और (35)। यह इसके व्यवसाय के लिए आकस्मिक था

बैंकिंग। निर्धारिती व्यापार के कारण व्यावसायिक आय

प्रतिभूतियों में "लाभ और लाभ" शीर्षक के तहत आकलन किया जा सकता है।

व्यवसाय और पेशा "। संबंधित व्यय

शेयरों में निवेश के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्टॉक-इन-ट्रेड और

डिबेंचर धारा 28 से 37 के तहत कटौती योग्य हैं। वहाँ एक है स्टॉक-इन-ट्रेड और निवेश के बीच अंतर। का उद्देश्य

(2007) 289 आईटीआर 6 (एससी)

प्रतिभूतियों में व्यापार से लाभ कमाना उद्देश्य से अलग है।

आय अर्जित करने का, जैसे कि लाभांश और उससे उत्पन्न होने वाला ब्याज। प्रतिभूतियों में व्यापार का उद्देश्य निवेश की गतिविधि का गठन नहीं करता है जहां उद्देश्य लाभांश या ब्याज अर्जित करना है।

22. इसके बाद उच्च न्यायालय ने वाल्फोर्ट शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स पी. लिमिटेड में लाभांश हटाने से संबंधित फैसले पर विस्तार से चर्चा की।

अधिनियम की धारा 14 ए के पीछे के उद्देश्य को समझाने के बाद (जो है), इस न्यायालय ने उस मामले के तथ्यों में यह अभिनिर्धारित किया था कि पुनर्भुगतान धारा 14 ए के संदर्भ में 'व्यय' का गठन नहीं करता है क्योंकि यह लाभ और हानि खाते को प्रभावित नहीं करता है। यह खर्च, वास्तव में, एक भुगतान है।

23. उच्च न्यायालय के अनुसार, छूट प्राप्त आय अर्जित करने के लिए किए गए खर्च की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। धारा 14 ए में 'के संबंध में' शब्दों का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाना चाहिए। उस सिद्धांत को लागू करना हाथ में तथ्यों के लिए, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

" अब, लाभांश और ब्याज आय हैं। तब सवाल यह है कि क्या निर्धारिती को यह कहा जा सकता है कि उसने छूट प्राप्त आय के संबंध में उक्त व्यय का कोई भी या कोई भी हिस्सा खर्च किया है। लाभांश और ब्याज जो उन प्रतिभूतियों से उत्पन्न होते हैं जो निर्धारिती के स्टॉक-इन-ट्रेड का गठन करते हैं। जवाब नकारात्मक होना चाहिए। उक्त प्रतिभूतियों की खरीद का उद्देश्य लाभांश और ब्याज से उत्पन्न आय अर्जित करना नहीं था, बल्कि व्यापार से लाभ अर्जित करना था।

समान रूप से खरीदें और बेचें। इसलिए, यह स्वयंसिद्ध है कि प्रशासनिक लागत सहित पूरा खर्च स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद और बिक्री के लिए किया गया था और इसलिए, प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की व्यापारिक गतिविधि से व्यावसायिक आय अर्जित करने के लिए किया गया था। चाहे प्रतिभूतियों से लाभांश या ब्याज जैसी कोई आय प्राप्त हुई हो, उसके संबंध में कोई खर्च नहीं किया गया था।"

24. हम यहां यह भी नोट कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने सी. सी. आई. लिमिटेड मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया और सहमति व्यक्त की

इसके साथ। सी. सी. आई. लिमिटेड में यह निर्णय, हालांकि, एक बहुत ही छोटा निर्णय है जो पक्षों के लिए वकील की प्रस्तुति को बहुत संक्षिप्त रूप से दर्ज करता है और

इसके बाद पूरी चर्चा पैरा 5 में निहित है जो निम्नानुसार है:

" 5. जब निर्धारिती द्वारा लाभांश आय अर्जित करने में कोई व्यय नहीं किया जाता है, तो किसी भी काल्पनिक व्यय की कटौती मैक्सॉप निवेश लिमिटेड से नहीं की जा सकती है।

वी. आय कर आयुक्त, नई दिल्ली [ए. के. सिकरी, जे.]

उक्त आय से। निर्धारिती द्वारा लाभांश का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी शेयर को बनाए रखने का मामला नहीं है। 63 % खरीदे गए शेयरों में से कुछ को बेच दिया जाता है और उससे प्राप्त आय को व्यावसायिक आय के रूप में कर के रूप में पेश किया जाता है। शेष 37 प्रतिशत शेयर अपने पास रखे गए हैं। यह निर्धारिती के पास अनसोल्ड रहा है। यह उन न बेचे गए शेयरों से लाभांश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए निर्धारिती ने कोई खर्च नहीं किया है। यद्यपि लाभांश आय को कर के भुगतान से छूट दी गई है, यदि उक्त आय अर्जित करने में कोई खर्च किया जाता है, तो उक्त खर्च की कटौती भी नहीं की जा सकती है। लेकिन इस मामले में, जब निर्धारिती ने लाभांश आय अर्जित करने के इरादे से शेयरों को नहीं रखा है और लाभांश आय शेयरों की बिक्री के अपने व्यवसाय के लिए आकस्मिक है, जो निर्धारिती द्वारा नहीं बेचा गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि शेयरों को प्राप्त करने में किए गए खर्च को लाभांश आय की सीमा तक विभाजित किया जाना चाहिए और इसे कटौती से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। मामले के उस दृष्टिकोण में, अधिकारियों का दृष्टिकोण अधिनियम के तहत निहित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसलिए, विवादित आदेश टिकाऊ नहीं हैं और उन्हें अलग रखने की आवश्यकता है।

25. इस स्तर पर आयकर आयुक्त बनाम कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को संदर्भित करना भी उपयोगी होगा। जी. के. कैपिटल

बाजार (पी.) Ltd.[3] जो कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भी सहमत है। उस मामले में, निर्धारिती में लगा हुआ था

शेयर व्यापार का व्यवसाय। आय की गणना में, निर्धारिती ने छूट प्राप्त आय के रूप में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ का दावा किया और अधिनियम की धारा 14 ए के तहत इसके खिलाफ अस्वीकार्य व्यय घोषित किया। ए. ओ. ने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को व्यावसायिक आय माना। अपीलीय न्यायाधिकरण ने पाया कि निर्धारिती के पास कोई निवेश नहीं था और सभी शेयरों को स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रखा गया था जैसा कि निचले अधिकारियों के आदेशों से स्पष्ट था। उन तथ्यों पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार जब निर्धारिती शेयरों को स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रख लेता है, तो नियमों का नियम 8 डी लागू नहीं होगा। इस सवाल पर कि क्या अपीलीय न्यायाधिकरण नियम 8 डी के अनुसार गणना की गई धारा 14 ए के तहत अस्वीकृति को हटाने और निवेश को स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रखने में उचित था, उच्च न्यायालय ने कहा कि ए. ओ. ने दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के रूप में राशि के अपने दावे पर निर्धारिती द्वारा पेश किए गए अस्वीकृत व्यय की शुद्धता को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने राशि को देखते हुए दावे की अनुमति नहीं दी थी 8 (2017) 392 आई. टी. आर. 196 (कैल)

इसके बाद प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करने के लिए व्यावसायिक आय के रूप में। उच्च न्यायालय के अनुसार, चूंकि ए. ओ. द्वारा छूट प्राप्त आय के बारे में तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया गया था, जिसे व्यावसायिक आय के रूप में माना जा रहा है और निर्धारिती द्वारा रखे गए शेयरों को स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में माना गया है, इसलिए अधिनियम की धारा 14 ए के तहत व्यय की अनुमति नहीं दी जा सकती थी और उस प्रावधान का कोई अनुप्रयोग नहीं था।

26. यह उल्लेख करना उचित होगा कि धनुका एंड संस बनाम के मामले में उसी उच्च न्यायालय का पूर्व निर्णय। सी. आई. टी. का हवाला दिया गया

राजस्व से। हालाँकि, इस निर्णय को आधार पर अलग किया गया था कि, उस मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि निर्धारिती की अपने व्यवसाय से आय का हिस्सा लाभांश से था, जबकि निर्धारिती नीचे दिए गए अधिकारियों के समक्ष कोई सामग्री पेश करने में असमर्थ था, जिसमें वह स्रोत दिखाया गया था जिससे ऐसे शेयर प्राप्त किए गए थे। बेहतर के लिए

यह समझते हुए, धनुका एंड संस के मामले में चर्चा पर ध्यान देना आवश्यक होगा, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा जी. के. के. में पुनः प्रस्तुत किया गया था। कैपिटल मार्केट्स (पी.) लिमिटेड धनुका एंड संस के पैरा 6 से पैरा 9 को नीचे पढ़ा गया है:

" 6. दूसरी ओर, न्यायाधिकरण की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री सरकार ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है और तर्क दिया है कि स्वयं निर्धारिती ने

अपने तर्क के समर्थन में सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, निर्धारण अधिकारी ने आनुपातिक आधार पर कटौती योग्य आय का सही आकलन किया

आधार। श्री सरकार प्रस्तुत करते हैं कि यह उसी के अनुरूप है

आयकर नियम का नियम 8 डी और इस प्रकार, हमें न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

7. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और अभिलेख पर सामग्री और श्री खेतान द्वारा उद्धृत निर्णयों को देखने के बाद, हम पाते हैं कि सी. आई. टी. बनाम के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय। महाराष्ट्र शुगर मिल्स लिमिटेड [1971] 82 आई. टी. आर. 452 और राजस्थान राज्य भंडारण निगम। वी. सी. आई. टी. [2000] 242 आई. टी. आर. 450/109 कर अधिकारी 145 ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां एक अविभाज्य व्यवसाय है जो कर योग्य आय के साथ-साथ छूट प्राप्त आय को जन्म देता है, उस व्यवसाय के संबंध में किए गए पूरे व्यय की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही व्यवसाय से अर्जित आय का एक हिस्सा कर से मुक्त हो, उन न्यायिक घोषणाओं

को दूर करने के लिए अधिनियम की धारा 14 ए को लागू किया गया था। अधिनियम की धारा 14 ए का उद्देश्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय की अनुमति नहीं देना है।

(2011) 339 आई. टी. आर. 319 (कैल)

मैक्सऑप निवेश लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, नई दिल्ली [ए. के. सिकरी, जे.]

आय के संबंध में जो आय का हिस्सा नहीं है

8. हमारे समक्ष मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि निर्धारिती की अपने व्यवसाय से आय का एक हिस्सा लाभांश से है जो कर से मुक्त है, जबकि निर्धारिती नीचे दिए गए अधिकारियों के समक्ष स्रोत दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत करने में असमर्थ था। जिन शेयरों का अधिग्रहण किया गया था। श्री खेतान ज़ोर से

हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया कि संबंधित पिछले वर्ष से पहले पिछले कुछ वर्षों से कोई नया हिस्सा अर्जित नहीं किया गया है और इस प्रकार, जो ऋण लिया गया था और जिसके लिए निर्धारिती द्वारा ब्याज देय है, वह उन पुराने शेयरों के अधिग्रहण के लिए नहीं था और इसलिए, नीचे दिए गए अधिकारियों ने आनुपातिक कटौती का लाभ देने में कानून की गलती की। 9. हमारी राय में, केवल यह तथ्य कि वे शेयर पुराने थे और हाल ही में अधिग्रहित नहीं किए गए थे, कोई मायने नहीं रखता है। यह निर्धारिती को किसी भी ऋण का लाभ लिए बिना संबंधित समय पर निर्धारिती के हाथों उपलब्ध निधियों से प्राप्त की गई सामग्री के उत्पादन द्वारा उन शेयरों के अधिग्रहण का स्रोत दिखाना है। यदि उन शेयरों को ऋण में ली गई राशि से खरीदा गया था, उदाहरण के लिए, पांच या दस साल पहले भी, तो यह निर्धारिती को दस्तावेजी प्रस्तुत करके दिखाना है।

इस बात का प्रमाण कि ऐसी ऋण राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका था और सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए, निर्धारिती द्वारा उन पुराने शेयरों को प्राप्त करने के लिए कोई ब्याज देय नहीं है। किसी की अनुपस्थिति में

निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत ऐसी सामग्री, हमारी राय में, नीचे दिए गए अधिकारियों ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि कुल आय और छूट स्रोत से आय को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक राशि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। शेयरों के अधिग्रहण के स्रोत का खुलासा करने वाली किसी भी सामग्री के अभाव में, जो निर्धारिती के विशेष ज्ञान के भीतर है, मूल्यांकन प्राधिकरण ने सबसे उचित दृष्टिकोण अपनाया।

मूल्यांकन में "।

27. हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसे अलग-अलग उच्च न्यायालयों से दो अलग-अलग राय सामने आई और इन परस्पर विरोधी परिणामों के संबंधित कारण। जाहिर है, निर्धारिती उन कारणों का अनुमान लगा रहे हैं जो उच्च न्यायालयों के साथ प्रचलित हैं जिन्होंने लिया है

जो निर्धारिती और राजस्व के लिए अनुकूल है

दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ कलकत्ता [2018] 2 एस. सी. आर. द्वारा दिए गए तर्क पर आधारित।

धनुका एंड संस मामले में उच्च न्यायालय। इसलिए, उन दलीलों का विस्तृत विवरण देना आवश्यक नहीं हो सकता है जो निर्धारिती की ओर से उपस्थित विभिन्न वकीलों के साथ-साथ राजस्व के वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। उनकी प्रस्तुतियों का एक संक्षिप्त विवरण इस उद्देश्य को पूरा करेगा।

28. जहां तक मूल्यांकनकर्ताओं का संबंध है, उनके तर्कों को नीचे संक्षेप में दोहराया गया है:

(i) प्रतिनिधित्व करने वाली समूह कंपनियों में निवेश की होल्डिंग

ब्याज को नियंत्रित करना, व्यवसाय करने के लिए राशि, जैसा कि आयोजित किया गया है

विभिन्न मामले।

((ii) इस बात के बावजूद कि लाभांश आय का आकलन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के तहत किया जा सकता है, अधिनियम की धारा 56 में अनिवार्य प्रिस्क्रिप्शन को देखते हुए, मामले के तथ्यों पर लाभांश आय की प्रकृति का पता लगाया जाना चाहिए। जहां लाभांश स्टॉक-इन-ट्रेड/नियंत्रित ब्याज प्राप्त करने/बनाए रखने के लिए खरीदे गए शेयरों के रूप में रखे गए शेयरों पर अर्जित किया जाता है, लाभांश आय व्यावसायिक आय की प्रकृति में होती है।

(iii) निवेशक कंपनी में नियंत्रित ब्याज का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों को प्राप्त करने के लिए उधार लिए गए ऋणों पर भुगतान किया गया ब्याज अधिनियम की धारा 36 (1) (iii) के संदर्भ में स्वीकार्य व्यावसायिक व्यय है, क्योंकि कंपनियों में नियंत्रित ब्याज प्राप्त करना और प्रबंधन करना,

ऐसी कंपनियों का प्रशासन, वित्तपोषण और पुनर्वास व्यवसाय और/या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए है न कि अर्जित लाभांश के लिए।

(iv) इसके विपरीत, निवेश के लिए उधार ली गई निधियों पर ब्याज का भुगतान किया जाता है।

नियंत्रित ब्याज का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयर लाभांश आय अर्जित करने के लिए किए गए व्यय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और अधिनियम की धारा 57 (iii) के तहत स्वीकार्य नहीं हैं।

धारा 14क)।

29. उपरोक्त सिद्धांतों पर उनके मामले को आधार बनाते हुए, यह तर्क दिया गया कि जब शेयरों का अधिग्रहण किया गया था, प्रमोटर होल्डिंग के हिस्से के रूप में, कंपनी में नियंत्रित ब्याज प्राप्त करने के उद्देश्य से, प्रमुख

उद्देश्य कंपनी के प्रबंधन पर नियंत्रण रखना है न कि शेयरों में निवेश से लाभांश अर्जित करना। लाभांश घोषित किया गया है या अर्जित किया गया है या नहीं, यह मायने नहीं रखता है और किसी भी मामले में, निर्धारिती निवेशक कंपनियों में शेयरों का परिसमापन नहीं करेगा।

इसलिए, कोई मैक्सॉप निवेश लिमिटेड नहीं है। वी. आय कर आयुक्त, नई दिल्ली [ए. के. सिकरी, जे.]

आय अर्थात लाभांश आय के संबंध में व्यय किया गया था।

और इसलिए, धारा 14 ए को आकर्षित नहीं किया जाएगा। इस रंग में, यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 14 ए को स्पष्ट और व्याकरणिक व्याख्या दी जानी थी जिसका अर्थ है कि इस प्रकार एक प्रत्यक्ष और व्याकरणिक व्याख्या की आवश्यकता होती है।

30. दूसरी ओर, राजस्व की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री के. राधाकृष्णन ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार को स्वीकार करने के लिए एक जोरदार याचिका दायर की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 14 ए को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अर्जित आय के संबंध में किए गए व्यय, जिसे कर से छूट दी गई है, की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि इस संदेश को वालफोर्ट शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स पी. लिमिटेड मामले में इस अदालत द्वारा स्पष्ट रूप से सामने लाया गया था। अन्यथा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि निर्धारिती को दोहरा लाभ मिलेगा, एक, लाभांश आय के संबंध में आयकर से छूट के रूप में और दूसरा कटौती प्राप्त करके। व्यय का लेखा भी। इस प्रकार, उन्होंने कहा कि उक्त प्रावधान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 'के संबंध में' अभिव्यक्ति को विस्तृत अर्थ दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिनियम की धारा 14 ए का शाब्दिक अर्थ इस ओर इशारा करता है और धारा 14 ए को शामिल करने के पीछे भी समान रूप से यही उद्देश्य था।

31. हमने दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क पर विचारपूर्वक विचार किया है, विभिन्न निर्णयों के आलोक में जो हमारे सामने उद्धृत किए गए हैं, जिनमें से कुछ पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है।

18] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32. सबसे पहले, यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि

अधिनियम की धारा 14 ए (1) में उस व्यय की कटौती की अनुमति नहीं दी गई है जो निर्धारिती द्वारा "उस आय के संबंध में किया गया है जो इस अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं है"।

स्वयंसिद्ध रूप से, यह केवल वह व्यय है जो कुल आय में सम्मिलित आय के संबंध में किया गया है जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि किए गए व्यय का छूट प्राप्त आय के साथ कोई कारणात्मक संबंध नहीं है, तो ऐसा व्यय स्पष्ट रूप से होगा

ऐसा माना जाता है कि यह उस आय से संबंधित नहीं है जिसे कर से छूट दी गई है और इस तरह के व्यय को व्यावसायिक व्यय के रूप में अनुमति दी जाएगी। इसे रखने के लिए

अलग तरह से, इस तरह के खर्च को तब में किया गया माना जाएगा

अन्य आय का संबंध जिसे कुल आय का हिस्सा माना जाना है। 33. अधिनियम की धारा 14 ए को इस अर्थ को निर्दिष्ट करने में कोई विवाद नहीं है। वास्तव में, सभी उच्च न्यायालय, चाहे वह दिल्ली उच्च न्यायालय हो

एक ओर या दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 14 ए को यह व्याख्या प्रदान करने पर सहमत हुए हैं। पूरा विवाद यह है कि दिए गए परिदृश्य में 'के संबंध में' शब्दों की क्या व्याख्या की जानी चाहिए। जहाँ शेयरों पर लाभांश आय अर्जित की जाती है, हालाँकि सदस्यता लेने का प्रमुख उद्देश्य निवेशक कंपनी के उन शेयरों को लाभांश अर्जित नहीं करना था। अपीलों के इन समूहों में हमारे पास दो परिदृश्य हैं। मामलों के एक समूह में शेयरों में निवेश करने का मुख्य उद्देश्य निवेशक कंपनी पर नियंत्रण हासिल करना था। अन्य मामले वे हैं जहाँ निवेशक कंपनी के शेयर

निर्धारिती द्वारा स्टॉक-इन-ट्रेड (यानी एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में) के रूप में रखा गया था न कि लाभांश अर्जित करने के लिए निवेश के रूप में। इस संदर्भ में, यह होना चाहिए जाँच की गई कि क्या खर्च किया गया था, संबंधित में

लाभांश आय के संबंध में परिदृश्य या नहीं।

प्रासंगिक। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैक्सॉप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जैसे निर्धारिती कर सकते हैं। निवेशक कंपनी पर नियंत्रण पाने के लिए निवेश किया है।

हालाँकि, यह समस्या को निर्धारित करने में एक प्रासंगिक कारक प्रतीत नहीं होता है। तथ्य यह है कि ऐसी लाभांश आय गैर-कर योग्य है। इस परिदृश्य में, यदि लाभांश आय अर्जित करने पर खर्च किया जाता है, तो मैक्सओपीपी निवेश लिमिटेड।

कि लाभांश आय के कारण होने वाले अधिकांश व्यय की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसे व्यावसायिक व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता है। अधिनियम की धारा 14 ए के पीछे के इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रावधान की व्याख्या की जानी चाहिए, विशेष रूप से, 'आय के संबंध में' शब्द जो कुल आय का हिस्सा नहीं है। इस रंग में माने जाने पर, खर्चों के विभाजन का सिद्धांत लागू होता है क्योंकि यह वह सिद्धांत है जो अधिनियम की धारा 14 ए में अंकित है। यह वालफोर्ट शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स पी. लिमिटेड में इस प्रकार आयोजित किया गया है, जिसका प्रासंगिक अंश पहले से ही ऊपर प्रस्तुत किया गया है, चर्चा की निरंतरता के लिए, हम निम्नलिखित कुछ पंक्तियों को उद्धृत करना चाहेंगे।

" अगला वाक्यांश है, "आय के संबंध में जो अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं है"। इसका मतलब है कि यदि कोई आय कुल आय का हिस्सा नहीं है, तो संबंधित व्यय धारा की प्रयोज्यता के दायरे से बाहर है।

14 ए.

XXX

XXX

XXX

कर योग्य के बीच व्यय के विभाजन का सिद्धांत और गैर-कर योग्य, सिद्धांत रूप में, अब के तहत विस्तारित किया गया है

धारा 14 ए "।

35. इसलिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सही ढंग से कहा कि अधिनियम की धारा 14 ए को लागू करने से पहले, कानून यह था कि जब

निर्धारिती के पास एक समग्र और अविभाज्य व्यवसाय था जिसमें कर योग्य और गैर-कर योग्य आय दोनों के तत्व थे, उक्त व्यवसाय के संबंध में पूरा व्यय कटौती योग्य था और ऐसे मामले में, गैर-कर योग्य आय से संबंधित व्यय के विभाजन का सिद्धांत था।

लागू नहीं होता है। विभाजन का सिद्धांत केवल वहीं उपलब्ध कराया गया था जहां व्यवसाय विभाज्य था। यह उपरोक्त समस्या का समाधान खोजने के लिए है कि विधानमंडल ने न केवल वित्त (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा धारा 14 ए को जोड़ा है, बल्कि इसे पूर्वव्यापी भी बनाया है, यानी 1962 में जब आयकर अधिनियम स्वयं लागू हुआ था। उपरोक्त इरादा था

वित्त विधेयक, 2001 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए ज्ञापन में जोर से और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया। हम, इस प्रकार, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं, और पंजाब

और हरियाणा उच्च न्यायालय की राय को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं जो प्रमुख उद्देश्य सिद्धांत द्वारा चली गई थी। द.

उपरोक्त तर्क उन मामलों में लागू होगा जहां शेयर निवेशक कंपनी में निवेश के रूप में रखे गए हैं, जो इस उद्देश्य के लिए हो सकते हैं कि

उसमें ब्याज को नियंत्रित करना। उस तर्क पर मैक्सॉप [2018] 2 एस. सी. आर. की अपीलें।

36. एक और पहलू है जिस पर अभी भी विचार करने की आवश्यकता है। क्या होता है जब शेयरों को 'स्टॉक-इन-ट्रेड' के रूप में रखा जाता है न कि 'निवेश' के रूप में, विशेष रूप से, बैंकों द्वारा? इस विशिष्ट पहलू पर, सीबीडीटी ने 02 नवंबर, 2015 को परिपत्र संख्या 18/2015 जारी किया है। 37. इस परिपत्र को ऊपर पैरा 19 में पहले ही पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है। यह परिपत्र नवांशहर में इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान देता है।

38. इससे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बताया कि यह परिपत्र 'स्टॉक-इन-ट्रेड' और 'स्टॉक-इन-ट्रेड' के बीच अंतर बताता है। ' निवेश 'और यह प्रावधान है कि यदि शेयरों की खरीद और बिक्री के पीछे का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, तो इसे व्यापारिक लाभ के रूप में माना जाएगा और यदि उद्देश्य लाभांश के माध्यम से आय प्राप्त करना है, तो लाभ को निवेश से अर्जित कहा जाएगा। इस हद तक, उच्च न्यायालय सही हो सकता है। साथ ही, हम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लागू किए गए प्रबल इरादे के परीक्षण से सहमत नहीं हैं, जिसे हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। उस स्थिति में, सवाल यह है कि उन मामलों का निर्णय किस आधार पर किया जाना है जहां अन्य कंपनियों के शेयरों को निर्धारिती द्वारा 'स्टॉक-इन-ट्रेड' के रूप में खरीदा जाता है न कि 'निवेश' के रूप में। हम आगे इस पहलू पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

39. उन मामलों में, जहां शेयरों को स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रखा जाता है, मुख्य उद्देश्य उन शेयरों में व्यापार करना और उनसे लाभ कमाना है।

हालाँकि, हम उन मुनाफ़ों से चिंतित नहीं हैं जिन्हें स्वाभाविक रूप से 'व्यवसाय और पेशे से लाभ और लाभ' शीर्ष के तहत 'आय' के रूप में माना जाएगा। ऐसा होता है कि, इस प्रक्रिया में, जब शेयरों को 'स्टॉक-इन-ट्रेड' के रूप में रखा जाता है, तो कुछ लाभांश भी अर्जित किया जाता है, हालांकि संयोग से, जो एक आय भी है। हालाँकि, अधिनियम की धारा 10 (34) के आधार पर, इस लाभांश आय को कुल आय में शामिल नहीं किया जाना है और इसे कर से छूट दी गई है। यह अधिनियम की धारा 14ए की प्रयोज्यता को प्रेरित करता है जो विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है।

वालफोर्ट शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स पी. लिमिटेड मामले में कर योग्य और गैर-कर योग्य आय के बीच व्यय। इसलिए, उस हद तक, प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, उन शेयरों को प्राप्त करने में हुए खर्च को विभाजित करना होगा। 40. हम स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के मामलों के तथ्यों से ध्यान देते हैं कि ए. ओ. ने मूल्यांकन आदेश पारित करते समय पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था।

उस राशि की अस्वीकृति जिसका छूट प्राप्त आय के रूप में दावा किया गया था

महत्वहीन है। वास्तव में, यह भाग्य की विचित्रता होगी कि जब निवेशक कंपनी लाभांश घोषित करती है, तो वे शेयर निर्धारिती के पास होते हैं, हालांकि निर्धारिती को अंततः लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें बेचकर उन शेयरों का व्यापार करना पड़ता है। इसलिए यहां की स्थिति मैक्सॉप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जैसे मामले से अलग है, जहां निर्धारिती उन शेयरों को रखना जारी रखेगा क्योंकि वह निवेशक कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। में। उस मामले में, जब भी निवेशक कंपनी द्वारा लाभांश घोषित किया जाता है जो अनिवार्य रूप से केवल निर्धारिती और निर्धारिती द्वारा अर्जित किया जाएगा। इसलिए, उन शेयरों में निवेश करते समय भी, निर्धारिती जानता है कि यह लाभांश आय उत्पन्न कर सकता है और साथ ही [2018] 2 एस. सी. आर.

ऐसी लाभांश आय उत्पन्न होती है जो निर्धारिती द्वारा अर्जित की जाएगी। इसके विपरीत, जहां शेयरों को स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रखा जाता है, यह आवश्यक रूप से एक स्थिति नहीं हो सकती है। मुख्य उद्देश्य उन शेयरों का परिसमापन करना है।

लाभ अर्जित करने के लिए जब भी शेयर की कीमत बढ़ती है। नतीजतन, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राजस्व द्वारा दायर अपीलें भी विफल हो जाती हैं, हालांकि इस संबंध में कानून को यहां ऊपर स्पष्ट किया गया है।

41. अधिनियम की धारा 14ए (2) की भाषा को ध्यान में रखते हुए, जिसे नियमों के नियम 8डी के साथ पढ़ा जाता है, हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि विभाजन के सिद्धांत को लागू करने से पहले, एओ को संतोष दर्ज करने की आवश्यकता है कि निर्धारिती के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, धारा 14ए के तहत स्वतः ही अस्वीकृति सही नहीं थी। यह उन मामलों में होगा जहां निर्धारिती ने अपनी वापसी में स्वयं विभाजन किया है लेकिन एओ उक्त विभाजन को स्वीकार नहीं कर रहा था। उस स्थिति में, उसे इस आशय से अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होगी। इसके अलावा, इस तरह की संतुष्टि को दर्ज करते समय, की प्रकृति

निर्धारिती द्वारा शेयर खरीदने/शेयरों में निवेश करने के लिए लिए गए ऋण की ए. ओ. द्वारा जांच की जानी है।

42. 2015 की सिविल अपील संख्या 1423 मेसर्स द्वारा दायर की गई है। एवन साइकिल लिमिटेड, लुधियाना, जिसमें ए. ओ. ने अधिनियम की धारा 14ए लागू की थी

नियमों के नियम 8डी के साथ पढ़ें और व्यय को विभाजित करें। द.

सी. आई. टी. (ए) ने अस्वीकृति को दरकिनार कर दिया था, जिसे आई. टी. ए. टी. ने निम्नलिखित शब्दों में बदल दिया थाः

" ..... मान लीजिए कि निर्धारिती ने कुल रुपये का ब्याज दिया था। 2. 92 करोड़ जिसमें से विशिष्ट उद्देश्य के लिए जुटाए गए सावधि ऋण पर ब्याज का भुगतान किया गया।

कुल रु। निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया शेष ब्याज 1.70 करोड़ रुपये है। 1. 21 करोड़। निर्धारिती द्वारा उपयोग की जाने वाली निधियाँ मिश्रित निधियाँ हैं और आयकर नियमों के नियम 8डी (2) (ii) के प्रावधानों को देखते हुए Rs.10,49,851/- पर अस्वीकृति की पुष्टि की जाती है।

सी. आई. टी. (अपील) द्वारा रुपये. 5,00,000/- पर किए गए तदर्थ अस्वीकृति में कोई योग्यता नहीं पाएँ। नतीजतन, राजस्व द्वारा उठाई गई अपील का आधार आंशिक रूप से अनुमत है और निर्धारिती द्वारा प्रति-आपत्ति में उठाए गए आधार की अनुमति है।

तथ्य के उपरोक्त निष्कर्ष पर ध्यान देते हुए, उच्च न्यायालय ने निर्धारिती की अपील को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है:

" वर्तमान मामले में, निर्धारिती की तुलन-पत्र की जांच करने के बाद, इस तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि धन ने मैक्सऑप निवेश लिमिटेड का उपयोग किया है।

वी. आय कर आयुक्त, नई दिल्ली [ए. के. सिकरी, जे.]

निर्धारिती द्वारा मिश्रित निधियों के रूप में, इसलिए, द्वारा भुगतान किया गया ब्याज

तथ्य का निष्कर्ष होने के कारण, हम यह नहीं पाते हैं कि इस न्यायालय के विचार के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है। अभिलेखों को देखने और सिद्धांत को लागू करने के बाद

विभाजन, जिसे ऐसे मामलों में लागू माना जाता है, हम 2015 की सिविल अपील संख्या 1423 में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

43. राजस्व द्वारा निर्धारिती के खिलाफ कुछ अपीलें दायर की जाती हैं।

जो नियम 8 डी के लागू होने से पहले की अवधि से संबंधित था

नियम। यहाँ, मामले का निर्णय निर्धारिती के पक्ष में इस आधार पर भी किया जाता है कि नियमों का नियम 8 डी संभावित प्रकृति का है और 2007 से पहले के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता था जब यह नियम जोड़ा गया था। इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा 2012 की सिविल अपील संख्या 2165 (आयकर आयुक्त, मुंबई बनाम। एम/एस। एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड) ने अपने प्रबंधक के माध्यम से 31 जनवरी, 2018 को घोषणा की कि उक्त नियम संभावित प्रकृति का है। केवल इसी आधार पर, राजस्व की ये अपीलें विफल हो जाती हैं क्योंकि अन्य मुद्दों में जाना आवश्यक नहीं है।

44. संक्षेप में:

(क) निर्धारिती की अपील, अर्थात सिविल अपील सं। 104-109 , 110

112 , 130 , 1423 2015 का, खारिज कर दिया जाता है।

(ख) राजस्व की अपील, अर्थात सिविल अपील सं। 3267 , 19614 ,

10096 2013 का, 2014 का 8596,2017 का 18019,2015 का 115,123,6590, एस. एल. पी. (सी) संख्या से उत्पन्न सिविल अपील। 27054 , 31417 2016 का, 2017 का 20475,23123,32405, डायरी संख्या। 36413 , 39820 , 39823 , 41890 , 41903 , 41922 2017 और 2018 के 1146 हैं - बर्खास्त कर दिया।

(ग) राजस्व की अपील, अर्थात डायरी से उत्पन्न सिविल अपील।

2017 की सं. 41203 की अनुमति है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी